मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

क्रमांक एफ. 6–6/2012/सात–3 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2013

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में संशोधन।

राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं, अर्थात्–

राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट–1 में,–

(1) पद (एक) फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता के नोट क्रमांक (3) में शब्द एवं अंक "अधिकतम देय सीमा रूपये 40,000/– (रूपये चालीस हजार) से अधिक नहीं होगी।" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अधिकतम देय सीमा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक नहीं होगी।" प्रतिस्थापित किए जाते हैं;

(2) पद (पॉच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान के खंड (2) में शब्द "अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर" विलोपित किये जाते हैं;

(3) पद (पॉच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान के खंड (2) के पश्चात् एक नवीन खंड (2–क) निम्नानुसार जोड़ा जाता है, अर्थात् –

"(2–क) पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/ वारिस को रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जाएगी।"

2/ उपरोक्त सभी संशोधन दिनांक 03 फरवरी, 2013 से प्रभावशील होंगे।

3/ उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजीत केसरी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ. 6–6/2012/सात–3 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2013

प्रतिलिपि–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग
3. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

सूचनार्थ:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल,
3. निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल

सचिव,

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग